



कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट www.sakhimilk.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 25 सितम्बर 2026 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम नंबर-8, अलवर, राजस्थान पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है :

1. 31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2026 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से सात रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 2094761 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 1,46,63,327 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च 2026 को सदस्याओं के रजिस्टर में उल्लिखित हैं।

3. श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

4. श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (कक्षा-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (कक्षा-सी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

5. श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519)



(क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

6. श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पेट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व), जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पेट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

7. कंपनी के वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए।

"संकल्प किया गया कि मैसर्स वी हवेलिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 036890C) को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक के रूप में इस ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक नियुक्त किया जाता है। और उन्हें बोर्ड द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।"

विशेष व्यवसाय

8. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए।

"यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तित किया जाता है।

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 iii. को परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.3 iii. कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के योग्य नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए लिखित नोटिस दिया जाएगा और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर देना होगा। इसके बाद, बोर्ड कार्रवाई करेगा। इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों से छूट दे सकता है।

ऐसा नोटिस या दस्तावेज़ किसी सदस्य को हाथ से, साधारण डाक से, पंजीकृत डाक से, स्पीड पोस्ट से, कूरियर द्वारा या कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है।



डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस सामान्य परिस्थितियों में उसकी डिलीवरी के लिए आवश्यक अवधि की समाप्ति पर प्राप्त माना जाएगा।

कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस प्रेषण की तिथि पर प्राप्त माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी में विफलता, डिलीवरी न होने या वापस आने की कोई सूचना प्राप्त न हो।

(2) कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) जोड़ा जाएगा:

4.4(i) कोई सदस्य निदेशक(ओं) के चुनाव या नियुक्ति में मतदान करने के लिए पात्र होगा। बोर्ड में सदस्यों के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा हो।

सदस्य ने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता श्रेणी पर लागू सभी शर्तों को पूरा किया हो।"

(3) मौजूदा आर्टिकल 4.5 में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

सदस्यों को दी जाने वाली कीमत

- i. बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्यों को सप्लाई किए गए दूध की कीमत का भुगतान किया जाएगा।
- ii. कंपनी अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए अलग-अलग कीमत दे सकती है, जो उस इलाके में प्रचलित कीमत और समय-समय पर तय किए जाने वाले अन्य मानदंडों पर आधारित हो सकती है।
- iii. सदस्य को शुरू में देय और बकाया कीमत का कुछ हिस्सा मिल सकता है (जैसा कि समय-समय पर तय किया जाए) और रोकी गई कीमत का भुगतान बाद में नकद, वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयर आवंटित करके किया जा सकता है। यह भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी

को सप्लाई किए गए दूध के अनुपात में या अन्यथा, उस सीमा तक, उस तरीके से और उन शर्तों के अधीन किया जाएगा जो बोर्ड तय करे।

iv. अन्य भुगतान:

कंपनी सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है। यह प्रोत्साहन किन खूबियों के आधार पर, कितनी सीमा तक, किस तरीके से और किन शर्तों के अधीन दिया जाएगा, यह बोर्ड तय करेगा।

(4) मौजूदा आर्टिकल 9.6 i. में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.6 i. कंपनी की हर सालाना आम बैठक (AGM) में कुल चुने गए डायरेक्टरों में से एक-चौथाई रोटेशन (बारी-बारी) से रिटायर होंगे। रोटेशन से रिटायरमेंट के कारण खाली हुई जगह को आर्टिकल 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। हर सालाना आम बैठक में रोटेशन से रिटायर होने वाले डायरेक्टर वे होंगे जो सालाना आम बैठक (AGM) में अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय से पद पर हैं। जिन डायरेक्टरों की नियुक्ति पिछली बार एक ही सालाना आम बैठक में हुई थी, उनमें से रिटायर होने वाले डायरेक्टर का फैसला लॉटरी (ड्रॉ) द्वारा किया जाएगा।

(5) मौजूदा आर्टिकल 9.6 iii में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

आर्टिकल के अनुसार रिटायर होने वाला हर डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालाँकि, किसी भी व्यक्ति को लगातार दो कार्यकाल से ज़्यादा समय के लिए डायरेक्टर के तौर पर नहीं चुना/नियुक्त किया जाएगा; ऐसा डायरेक्टर डायरेक्टर का पद छोड़ने के तीन साल पूरे होने के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगा। आर्टिकल 9.7 के तहत डायरेक्टर की नियुक्ति को कार्यकाल के तौर पर नहीं गिना जाएगा। इस लेख में।

(6) मौजूदा आर्टिकल 9.16 में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.16 कोई चुना हुआ डायरेक्टर तब अपना पद छोड़ देगा जब वह कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा या इन आर्टिकल्स के तहत वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। साथ ही, कोई सदस्य



बोर्ड पर डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा या डायरेक्टर का पद खाली हो जाएगा यदि:

9. रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय |

धारा 378ZN के तहत विशेष बहुमत से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और, यदि उचित समझा जाए, तो उसमें बदलाव के साथ या बिना बदलाव के उसे पारित करने के लिए:

“यह संकल्प किया जाता है कि कं कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों, और आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे “आईटी अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 2(1B) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की मंजूरी से रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “मर्ज होने वाली कंपनी” कहा जाएगा) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “मर्ज करने वाली कंपनी” कहा जाएगा) में विलय किया जाता है। यह विलय प्रभावी तारीख (यानी प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति मिलने तक, जो भी पहले हो) से लागू होगा। मर्ज होने वाली कंपनी (अपने सभी उपक्रमों और पूरे कारोबार सहित) बिना किसी अतिरिक्त कार्यवाही, दस्तावेज़, विलेख या चीज़ के, एक चालू कारोबार के तौर पर मर्ज करने वाली कंपनी में मिल जाएगी, उसे हस्तांतरित कर दी जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी। इसके बदले में, मर्ज करने वाली कंपनी, मर्ज होने वाली कंपनी के इक्विटी सदस्यों को, रिकॉर्ड तारीख पर उनके पास मौजूद हर एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है के बदले, एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है जारी और आवंटित करेगी (इसे “शेयर विनिमय अनुपात” कहा जाएगा)। मर्ज करने वाली कंपनी में इस विलय, ट्रांसफर और निहित होने की प्रक्रिया में (बिना किसी सीमा के) ये बातें शामिल होंगी, जहाँ भी लागू हों:”

ऐ) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं: (i) सभी चल या अचल संपत्तियां और संपत्तियां, चाहे वे कब्जे में हों या प्रत्यावर्ती हों, मूर्त हों या अमूर्त, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी संयंत्र और मशीनरी, अचल संपत्तियां, इन्वेंट्री, निर्माणाधीन कार्य, चालू संपत्तियां, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और परिधीय उपकरण, बीमा पॉलिसियां और इसके कोई भी दावे, टेलीफोन और अन्य संचार सुविधाएं, कार्यालय उपकरण, प्रतिष्ठान, उपयोगिताएं और सेवा कनेक्शन, (iii) राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण से प्राप्त रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, अनुदान, प्रोत्साहन, गारंटी, बांड, अधिकार और लाइसेंस, भंडार, प्रावधान, निधियां, पट्टे, लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, अनुमतियां, सहमति, अनुमोदन, जो उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी अधिकार, परिसर, किराया खरीद, ऋण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, विलेख, व्यवस्थाएं, वचनबद्धता जापन, प्रौद्योगिकी/तकनीकी समझौते, बांड, शक्तियां, प्राधिकरण, परमिट, आवंटन। विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ, लाभ, सुगमताएँ और सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, सद्भावना, गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्य राशियाँ, बयाना राशि, धन के बदले भुगतान, विरोध राशि, ऋण, जमा राशि जिसमें सुरक्षा जमा शामिल हैं, और दिए गए अग्रिम, जिसमें बिना किसी सीमा के ब्याज या उस पर अर्जित कोई अन्य आय शामिल है, नकद, बैंक शेष, खाते और सभी समझौतों के सभी अन्य अधिकार, लाभ, (vi) कर और अन्य क्रेडिट (आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर, विदेशी कर क्रेडिट, समतुल्यीकरण शुल्क, न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी बही लाभ पर कर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर एकत्र कर, आदि के संबंध में क्रेडिट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं), किसी भी कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की वापसी (प्रतिदेयता के रूप में दावा की गई सभी राशियाँ सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, चाहे वे लेखा पुस्तकों में दर्ज हों या नहीं), (vii) सभी लेखा पुस्तकें, दस्तावेज और विलय करने वाली कंपनी से संबंधित, उसके कब्जे में, उसके पक्ष में प्रदान की गई या उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रकार की और किसी भी स्थान पर स्थित अभिलेख (जिन्हें "संपत्तियां" कहा गया है)

(बी) विलय करने वाली कंपनी के सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस, अनापति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन, अनुदान, आवंटन, सिफारिशें, मंजूरी और किरायेदारी, चाहे वे किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से प्राप्त हों;

(सी) विलय करने वाली कंपनी के सभी अनुबंधों, समझौतों, खरीद एवं बिक्री आदेशों, समझौता ज्ञापनों, बोलियों, निविदाओं, रुचि की अभिव्यक्तियों, आशय पत्रों, प्रतिबद्धताओं, उपक्रमों, विलेखों, बांडों, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं और अन्य सभी दस्तावेजों, चाहे वे लिखित, मौखिक या किसी अन्य रूप में हों, के सभी विशेषाधिकार और लाभ, तथा अन्य सभी अधिकार जिनमें पट्टे के अधिकार, लाइसेंस और हर प्रकार की सभी सुविधाएं शामिल हैं;

(डी) विलय करने वाली कंपनी द्वारा कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की वापसी, जिसमें विलय करने वाली कंपनी द्वारा किया गया कोई भी गलत या अधिक भुगतान और उस पर लगने वाला ब्याज शामिल है, के संबंध में, केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या संकल्प के संबंध में, और आयकर अधिनियम या अन्य देशों के करधान कानूनों के तहत, या उक्त अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून या अधिनियम के अनुसार, समायोजित, अवशोषित न किए गए नुकसान और अवशोषित न किए गए मूल्यहास, आस्थगित राजस्व व्यय, कटौती, छूट, रियायत, भत्ता, परिशोधन लाभ आदि के संबंध में, या ऐसे ही किसी अन्य लाभ के संबंध में, ऐसे किसी भी दावे का अधिकार जो विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत या किया नहीं गया हो;

(इ) विलय करने वाली कंपनी के सभी ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित), देनदारियां जिनमें आकस्मिक देनदारियां, शुल्क, पट्टे, निर्यात दायित्व और किसी भी प्रकार, प्रकृति और विवरण के अन्य सभी दायित्व। बशर्ते कि, विलय करने वाली कंपनी द्वारा किए गए सुरक्षा दस्तावेजों या समझौतों में, जिनके तहत विलय करने वाली प्रत्येक कंपनी की संपत्तियां या परिसंपत्तियां किसी वित्तीय सहायता या दायित्व के लिए सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, उक्त संदर्भ को केवल विलय करने वाली कंपनी के उस उपक्रम से संबंधित संपत्तियों या परिसंपत्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जो संकल्प के आधार पर विलय की गई कंपनी

में निहित हैं, और संकल्प विलय करने वाली कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी ऋण, जमा या सुविधा के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावी नहीं होगा जो विलय के आधार पर विलय की गई कंपनी में निहित हो जाएगी, और विलय की गई कंपनी विलय के प्रभावी होने के बाद इसके लिए कोई और अतिरिक्त सुरक्षा बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;

(एफ) विलय करने वाली कंपनी के सभी अन्य दायित्व, जिनमें विलय करने वाली कंपनी की देनदारियां भी शामिल हैं;

(जी) विलय करने वाली कंपनी से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही, जिनमें कर, अपील, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही शामिल हैं; और

(एच) विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि पर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में विलय करने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

उपरोक्त बातों को सीमित किए बिना, यह इरादा है कि उपरोक्त विलय के माध्यम से विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्ति, परिसंपत्तियां, अधिकार, अनुदान, दावे, कर्तव्य, दायित्व, हकदारी, बौद्धिक संपदा अधिकार, लाभ, प्रोत्साहन, कर्मचारी, देनदारियां आदि इस संकल्प के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विलय की गई कंपनी में स्थानांतरित हो जाएंगी।

1. परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

1.1. उपरोक्त के प्रतिकूल न होते हुए, (i) विलय करने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल प्रकृति की हों या अमूर्त संपत्ति हों या अन्यथा हस्तलिखित या सांकेतिक सुपुर्दगी या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित की जा सकती हों, वे विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और ऐसे हस्तांतरण पर विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगी, (ii) विलय करने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्ति (भूमि, भवन और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), यदि कोई हो, चाहे वह मुक्तधार हो या पट्टेदारी, और उससे संबंधित स्वामित्व, अधिकार और सुगमता के कोई भी दस्तावेज, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे, या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे, और ऐसे हस्तांतरण पर वे विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगे, और (iii) उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों के अलावा अन्य

संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार, निवेश, बकाया ऋण, जमा और अग्रिम, यदि कोई हो, नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य, सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों और निकायों के पास बैंक शेष, यदि कोई हो, शामिल हैं। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों के अधिकार, विलयित कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और/या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे; बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के, और इस प्रस्ताव के प्रभावी होने के बाद।

1.2. अधिनियम की धारा 378ZN के तहत पारित प्रस्ताव को प्रभावी करने के उद्देश्य से, उन परिसंपत्तियों, संपत्तियों और अधिकारों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनके लिए किसी कानून या अन्यथा के तहत, हस्तांतरण के अलग दस्तावेजों, विलेखों या समझौतों की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं अटॉर्नमेंट या एंडोर्समेंट के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में, विलयित कंपनी आवश्यकतानुसार, उत्परिवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करेगी, और यह इस प्रस्ताव का अभिन्न अंग होगा।

1.3. प्रभावी तिथि से, विलयित कंपनी की अचल संपत्ति (यदि कोई हो) का स्वामित्व विलयित कंपनी के स्वामित्व के रूप में परिवर्तित और मान्यता प्राप्त माना जाएगा, और इस प्रस्ताव को उपयुक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना विलयित कंपनी के ऐसी अचल संपत्तियों पर स्वामित्व के अभिलेख के रूप में पर्याप्त होगा।

1.4. विलय करने वाली कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ, चाहे वे विलय करने वाली कंपनी की पुस्तकों में शामिल हों या नहीं, किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के बिना, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित हो जाएँगी और उसमें निहित हो जाएँगी और अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार संकल्प के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और उसमें निहित मानी जाएँगी, बशर्ते कि विलय की गई कंपनी द्वारा संकल्प दाखिल करने की तिथि के बाद विलय की गई कंपनी के निदेशक मंडल की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई भी भारित परिसंपत्ति अधिग्रहित नहीं की गई हो।

1.5. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, निकाय, उपक्रम, एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा प्रदत्त सभी अनुदान (चाहे एकमुश्त हों या आवर्ती), साथ ही सभी किश्तें, किश्तें, निकासी, संवितरण, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे स्वीकृत हों, आवेदन किए गए हों, दावा किए गए हों, प्राप्त हुए हों, आदि) जिनके लिए विलय करने वाली कंपनी प्रभावी तिथि पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या मापदंड की पूर्ति पर पात्र थी या है, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और विलय की गई कंपनी पर उसी तरह और उसी प्रभाव से लागू रहेंगे, जैसे कि यह विलय न होने की स्थिति में विलय की गई कंपनी पर लागू होते, बिना किसी और कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

2. देनदारियों का हस्तांतरण

2.1. प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के सभी दायित्व, जिनमें सभी सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, विविध लेनदार, दायित्व (आकस्मिक दायित्व और आस्थगित कर दायित्व सहित), कर्तव्य, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (कोई भी गारंटी, साख पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है) शामिल हैं, चाहे विलय करने वाली कंपनी के लेखा बही में उनका उल्लेख हो या न हो, हर प्रकार, प्रकृति और विवरण के हों और चाहे वे किसी भी तरह से उत्पन्न हुए हों, उठाए गए हों, खर्च किए गए हों या उसके व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन के लिए उपयोग किए गए हों, इस संकल्प के अनुसार, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के तहत प्रभावी होते हुए, बिना किसी और कार्य, साधन, विलेख, मामले या वस्तु के, विलय करने वाली कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे, साथ ही उन पर कोई भी प्रभार, भार, बंधक, ग्रहणाधिकार, गिरवी या सुरक्षा भी शामिल होगी, और विलय करने वाली कंपनी द्वारा उनका ग्रहण किया जाएगा। प्रभावी तिथि पर बकाया राशि के अनुसार, विलयित कंपनी की देनदारियां उसी शर्तों और नियमों पर लागू होंगी जो विलय करने वाली कंपनी पर लागू थे, और विलयित कंपनी इन शर्तों के अनुसार इनका भुगतान, निपटान और संतुष्टि करेगी, और विलय प्रभावी होने के बाद विलयित कंपनी पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व नहीं होगा। इसके अलावा, इस अनुच्छेद

2.1 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा जो किसी ऐसे अनुबंध या व्यवस्था का पक्षकार हो जिसके तहत ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हों।

हालांकि, विलयित कंपनी, प्रभावी तिथि के बाद किसी भी समय, यदि किसी कानून या अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक हो, तो लेनदारों या ऋणदाताओं के पक्ष में, या उस अनुबंध या व्यवस्था के किसी अन्य पक्षकार के पक्ष में, जिसमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्षकार है, पुष्टिकरण विलेख निष्पादित कर सकती है, या कोई भी लिखित दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, यहां उल्लिखित प्रावधानों को औपचारिक रूप देने के लिए निष्पादित कर सकती है। संकल्प के प्रावधानों के तहत, विलयित कंपनी को विलय करने वाली कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित सभी औपचारिकताओं और अनुपालनों को लागू करने और पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

2.2. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच देय कोई भी ऋण, अग्रिम और अन्य दायित्व (जिसमें कोई गारंटी, साख पत्र, आश्वासन पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देयता उत्पन्न हो सकती है), स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं होगा और विलय की गई कंपनी के खातों और अभिलेखों में उचित प्रभाव डाला जाएगा।

3. कानूनी कार्यवाही

3.1. यदि विलय करने वाली कंपनी के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी रूप से वैध, कार्रवाई योग्य और प्रवर्तनीय मुकदमे, कार्रवाई और कार्यवाही (जिसे यहां "कार्यवाही" कहा गया है) प्रभावी तिथि को लंबित हैं, तो संकल्प या संकल्प में निहित किसी भी बात के कारण वे न तो समाप्त होंगी, न ही बंद होंगी और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, बल्कि विलय की गई कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाही उसी प्रभावी ढंग से और उसी तरीके से और उसी सीमा तक जारी रखी



जाएगी और लागू की जाएगी, जिस तरह से संकल्प के अभाव में विलय करने वाली कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाती या लागू की जा सकती थी।

4. कर्मचारी और अन्य कार्मिक

4.1. विलय करने वाली कंपनी के सभी कर्मचारी (सचिवों और प्रबंधकों सहित), जो प्रभावी तिथि को सेवा में थे, प्रभावी तिथि से विलय की गई कंपनी के कर्मचारी बन जाएंगे और उनकी सेवा की शर्तें और नियम प्रभावी तिथि को उन पर लागू शर्तों और नियमों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

4.2. प्रभावी तिथि से, कर्मचारियों की सेवाओं को सदस्यता के उद्देश्य से और विभिन्न निधियों (नीचे परिभाषित) के नियमों या उपनियमों के आवेदन के लिए बिना किसी रुकावट, अवरोध या व्यवधान के निरंतर माना जाएगा।

4.3. यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सृजित या विद्यमान भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, सेवानिवृत्ति निधि, अवकाश शेष या कोई अन्य विशेष निधि या ट्रस्ट (यहाँ "निधि" के रूप में संदर्भित) ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी अंशदानों सहित, ब्याज/निवेश (जो स्थानांतरित कर्मचारियों से संबंधित और आबंटित हैं) के साथ, विलय करने वाली कंपनी की संबंधित निधियों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उनका समेकन किया जाएगा, उन शर्तों और नियमों पर जो विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कर्मचारियों पर लागू थे, बशर्ते कि लागू कानून (अर्थात् कोई भी कानून जिसमें दिशानिर्देश, निर्णय, अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, नियम, विनियम आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी या लागू होते हैं, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर) के तहत सभी नियामक/कानूनी आवश्यकताओं/अनुमोदनों का अनुपालन किया जाए, बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

4.4. विलयित कंपनी उक्त निधियों में संबंधित ट्रस्ट विलेखों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अंशदान करने के लिए बाध्य होगी, ताकि विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कोषों से संबंधित सभी अधिकार, कर्तव्य,

शक्तियां और दायित्व विलयित कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों की सेवाएं निधियों के प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएंगी और तदनुसार, विलय करने वाली कंपनी द्वारा ऐसे कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखा जाएगा। विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से, विलय करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों और नियमों में सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उपरोक्त के बावजूद, विलयित कंपनी का निदेशक मंडल, यदि वह उचित समझे और लागू कानूनों के अधीन रहते हुए, विलय करने वाली कंपनी के पूर्ववर्ती कोषों के लिए विलयित कंपनी के भीतर अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5. परमिट

5.1. सभी सरकारी स्वीकृतियाँ और अन्य सहमतियाँ, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस, जिनमें पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और हर प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी उपयोग करने की हकदार हो सकती है और जो विलय करने वाली कंपनी के संचालन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी हैं, विलय की गई कंपनी के पक्ष में पूर्ण रूप से लागू रहेंगी और प्रभावी बनी रहेंगी, और उन्हें उसी तरह पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि विलय की गई कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के, उसमें एक पक्षकार, लाभार्थी या देनदार होती।

5.2. विलयित कंपनी, संकल्प के प्रभावी होने पर, स्वतः ही विलय करने वाली कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने का अधिकार ग्रहण कर लेगी, जिसमें लागू कानून के तहत आवश्यक सभी अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हकदारी, आवंटन, रियायतें, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और किसी भी प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, और इसके लिए विलयित कंपनी के नाम पर किसी और आवेदन या पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

6. कराधान

6.1. यह संकल्प आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत "विलय" से संबंधित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करेगा, जिसके अनुसार, अन्य बातों के अलावा:

क) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां विलय के कारण विलयित कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;

ख) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी देनदारियां विलय के कारण विलयित कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,

ग) विलय करने वाली कंपनी में कम से कम तीन चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य विलय के कारण विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।

6.2. यदि किसी भी समय, कानून में संशोधन के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से, संकल्प के किसी भी प्रावधान को आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है या उसकी व्याख्या असंगत पाई जाती है, तो धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे और पक्षकार सद्भावनापूर्वक इस संकल्प को पारस्परिक रूप से संतोषजनक तरीके से संशोधित करने के लिए बातचीत करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह संकल्प ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करता है और यह संकल्प ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक संशोधित माना जाएगा। हालांकि, ऐसा संशोधन संकल्प के अन्य भागों को प्रभावित नहीं करेगा।

6.3. संकल्प के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी को आयकर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और अन्य कर कानूनों के तहत निर्धारित प्रपत्रों, दाखिलियों और अनुलग्नकों के साथ अपने-अपने वित्तीय विवरणों और रिटर्न को संशोधित करने और भुगतान किए गए करों (जिसमें स्रोत पर काटा गया कर, स्रोत पर एकत्र किया गया कर आदि शामिल हैं)

के लिए धनवापसी और/या क्रेडिट का दावा करने और संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उससे संबंधित मामलों के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाती है।

6.4. उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विलय करने वाली कंपनी को लागू कानूनों के अनुसार प्राप्त सभी लाभ, प्रोत्साहन, हानियाँ, क्रेडिट (जिनमें आयकर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर वसूली, वस्तु एवं सेवा कर आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को प्राप्त होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय की गई कंपनी द्वारा देय सभी करों को विलय की गई कंपनी की कर देयता माना जाएगा। प्रभावी तिथि को या उसके बाद विलय करने वाली कंपनियों द्वारा किसी भी लागू कानून के तहत किए गए सभी अनुपालनों को विलय की गई कंपनी द्वारा किया गया माना जाएगा।

6.5. इसके अतिरिक्त, विलय की गई कंपनी को अन्यथा स्वीकार्य सभी कटौतियाँ और छूटें, जिनमें वास्तविक भुगतान पर या उचित करों की कटौती पर या स्रोत पर कटौती पर स्वीकार्य भुगतान शामिल हैं, आयकर अधिनियम के तहत लागू शर्तों की पूर्ति पर विलय की गई कंपनी के लिए कटौती या छूट के पात्र होंगे।

7. समझौते, अनुबंध और विलेख

7.1. प्रभावी तिथि से और इस संकल्प में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वे सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्ष है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी पात्र हो सकती है, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी हैं, विलय की गई कंपनी पर पूर्ण रूप से लागू होंगे और विलय की गई कंपनी पर बाध्यकारी होंगे और उसी प्रकार पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे जैसे कि विलय की गई कंपनी के स्थान पर विलय की गई कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के उसका पक्षकार होती।

7.2. जैसा कि ऊपर पैरा 7.1 में प्रावधान किया गया है, प्रभावी तिथि को किसी भी पक्ष के साथ लागू सभी समझौते और अनुबंध विलयित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उन पक्षों के साथ लागू रहेंगे, और इसलिए, ऐसे कोई समझौते नहीं हैं जिन्हें संशोधित, निरस्त या समाप्त किया जाएगा, जिनके लिए अन्यथा अधिनियम की धारा 378ZN(8)(e) के अनुसार किसी पूर्व सूचना या सहमति की आवश्यकता होती।

7.3. इस संकल्प के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस तथ्य के बावजूद कि उपक्रम का निहित होना इस संकल्प के आधार पर ही होता है, विलयित कंपनी, यदि किसी कानून या अन्यथा के तहत आवश्यक हो, विलय करने वाली कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो इस संकल्प के प्रावधानों को औपचारिक रूप देने के लिए, ऐसे विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण में प्रवेश कर सकती है और/या जारी कर सकती है और/या निष्पादित कर सकती है या किसी त्रिपक्षीय व्यवस्था, पुष्टिकरण या नवीकरण में प्रवेश कर सकती है, जिसमें विलय करने वाली कंपनी भी पक्षकार होगी। इसके अलावा, विलय की गई कंपनी को विलय की गई कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण को निष्पादित करने और संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विलय की गई कंपनी की ओर से आवश्यक सभी औपचारिकताओं को लागू करने या पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

7.4. विलय की गई कंपनी, चाहे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में हो या अन्यथा, विलय की गई कंपनी में निहित होगी। सभी आवश्यक कॉर्पोरेट अनुमोदन और अनुपालन विलय की गई कंपनी द्वारा प्राप्त/अनुपालन किए गए माने जाएंगे।

7.5. विलयित कंपनी विलय करने वाली कंपनी के संबंध में जारी की गई सभी बीमा पॉलिसियों के लाभ की हकदार होगी और पॉलिसियों में विलयित कंपनी का नाम "बीमाकृत" के रूप में इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसे कि विलयित कंपनी प्रारंभ में ही उसमें एक पक्षकार थी।

7.6. विलय प्रभावी होने के बाद, विलयित कंपनी का बोर्ड प्राथमिक शासी निकाय के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, सभी शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बरकरार रखते हुए, और विलय करने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी और कार्य या विलेख के स्वतः भंग हो जाएगा, क्योंकि विलय करने वाली कंपनी का अस्तित्व समामेलन पर समाप्त हो जाएगा। विलय करने वाली कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निहित सभी

अधिकार, दायित्व और प्राधिकार विलय करने वाली कंपनी के बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और उसके द्वारा प्रयोग किए जाएंगे।

7.7. इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से तीन महीने पहले तक विलय करने वाली कंपनी या विलयित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी हस्तांतरण, माल की सुपुर्दगी, भुगतान, निष्पादन या अन्य किसी भी कार्य को रद्द करने का कोई उदाहरण नहीं है, जिसे यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता, तो उसकी दिवालियापन की स्थिति में उसे कपटपूर्ण वरीयता माना जाता।

8. प्रतिफल

8.1. संकल्प के प्रभावी होने पर और विलय करने वाली कंपनी के विलय की गई कंपनी में विलय के प्रतिफल के रूप में, विलय की गई कंपनी बिना किसी और आवेदन, कार्य, विलेख, सहमति या दस्तावेज के, विलय करने वाली कंपनी के उन सदस्यों को, जिनके पास विलय करने वाली कंपनी के पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम अभिलेख तिथि (अर्थात प्रभावी तिथि) को विलय करने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या अन्य उत्तराधिकारियों को, जिन्हें विलय करने वाली कंपनी/विलय की गई कंपनी के बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाए, शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार, नीचे दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी।

8.2. उपरोक्त उल्लिखित शेयर विनिमय अनुपात को शेयर विनिमय अनुपात के निर्धारण के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिया गया है और अनुमोदित किया गया है।

8.3. विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों का उक्त निर्गमन विलयित कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, और लाभांश, बोनस, मतदान अधिकार और विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभों सहित सभी मामलों में विलयित कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समतुल्य होगा।

8.4. विलयित कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति को अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य प्रासंगिक एवं लागू प्रावधानों के अनुपालन में माना जाएगा, जो विलयित कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों के निर्गमन और आवंटन तथा इस प्रस्ताव में दिए गए प्रावधान के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन से संबंधित हैं। विलयित कंपनी को धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित कोई और प्रस्ताव या कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.5. उपरोक्त पैरा 8.1 में उल्लिखित प्रतिफल के अतिरिक्त, विलयित कंपनी कोई अन्य शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियां या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल निर्गमन निर्गमन, आवंटित या विनियोजित नहीं करेगी।

9. असहमति जताने वाले सदस्यों या लेनदारों के लिए प्रक्रिया

9.1. अधिनियम की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावित संकल्प पर असहमति जताने वाला कोई भी सदस्य या लेनदार शेयरधारकों को दी गई सूचना की तामील की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग कर सकता है:

(क) किसी सदस्य के मामले में - निदेशक मंडल की स्वीकृति से अपने शेयर किसी सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित करना, जिससे वह कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा; और

(ख) किसी लेनदार के मामले में - अपनी जमा राशि, ऋण या अग्रिम राशि, जैसा भी मामला हो, वापस लेना।

9.2. यदि उपरोक्त 9.1(क) के अंतर्गत कोई सक्रिय सदस्य असहमति जताने वाले सदस्य से शेयर खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी स्वयं उन शेयरों को खरीदने की व्यवस्था करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए प्रत्येक शेयर के लिए 100 रुपये का अंकित मूल्य अदा करेगी। यदि कंपनी द्वारा कोई शेयर खरीदे जाते हैं, तो इससे कंपनी की शेयर पूंजी में उस सीमा तक कमी आएगी।

9.3. असंतुष्ट सदस्य के शेयरों की खरीद के लिए सक्रिय सदस्य की खोज से संबंधित प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयरों की खरीद इस प्रस्ताव के

प्रभावी होने की तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लेनदेन इस तिथि से पहले संपन्न हो जाए।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य उपर्युक्त समयावधि के भीतर अपने शेयरों के हस्तांतरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो उस सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमति दी हुई मानी जाएगी।

9.5. कंपनी और उसके निदेशक मंडल तथा अन्य अधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करेंगे।

10. विलयित कंपनी का भविष्य में संचालन

विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी दोनों ही मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण और विपणन के समान व्यवसाय में संलग्न हैं। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक संचालन भी निम्नलिखित रूप से समान हैं:

- दूध उत्पादन करने वाली महिलाएं कंपनी की सदस्य हैं;
- ऐसी महिला दूध उत्पादक कंपनियां कंपनी को दूध की आपूर्ति करती हैं;
- कंपनी विभिन्न महिला दूध उत्पादकों से दूध एकत्रित करती है और उसे थोक में बाजार में बेचती है।

विलय के बाद, विलयित कंपनी के व्यावसायिक संचालन और अन्य कार्य पहले जैसे ही रहेंगे और विलयित कंपनी विलय करने वाली कंपनी की संयुक्त दक्षता के साथ उसी व्यवसाय को जारी रखेगी, जहां विलय करने वाली कंपनी के सदस्य विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे और विलयित कंपनी को दूध की आपूर्ति करेंगे।

11. विलय के लिए लेखांकन प्रक्रिया

संकल्प के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखांकन मानकों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारत में अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित लेखांकन पद्धति के अनुसार अपने लेखा-पुस्तकों में विलय का लेखांकन करेगी।

11.1. विलय करने वाली कंपनी की लेखा-पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

चूंकि विलय करने वाली कंपनी संकल्प के प्रभावी होने पर परिसमापन के बिना भंग हो जाएगी, इसलिए इस संकल्प के अंतर्गत विलय करने वाली कंपनी की लेखा-पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जा रही है।

11.2. विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

संकल्प में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखांकन, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों ("एस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपनी पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

(ए) दो स्वतंत्र संस्थाओं के विलय के पूर्ण होने के बाद, विलय करने वाली कंपनी की जो परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, यदि कोई हों, इस संकल्प के अनुसार उसमें निहित हो जाती हैं, उन्हें विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए वहन मूल्यों पर दर्ज करेगी।

(बी) विलय करने वाली कंपनी के भंडारों की पहचान बरकरार रखी जाएगी और विलय की गई कंपनी विलय करने वाली कंपनी के भंडारों को उसी रूप में और उसी वहन मूल्य पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्ज है।

(सी) विलय करने वाली कंपनी का विलय की गई कंपनी में विलय होने के बाद, विलय की गई कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी शेष, यदि कोई हो, जो विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में दर्ज हैं, रद्द हो जाएंगे और इस संबंध में कोई और दायित्व नहीं रहेगा।

(डी) अनुच्छेद 8 के अनुसार विलय की गई कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए विलय की गई कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में इक्विटी शेयर पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों के जारी होने पर प्राप्त शेयर प्रीमियम, यदि कोई हो, तो विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा किया जाएगा।

(ई) अनुच्छेद 11.2(a) से 11.2(d) के प्रावधानों के लागू होने के बाद यदि कोई घाटा होता है, तो उसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में 'विलय आरक्षित' खाते में समायोजित किया जाएगा। अनुच्छेद 11.2(a) से 11.2(d) के प्रावधानों के लागू होने के बाद यदि कोई अधिशेष होता है, तो उसे उपलब्ध शेष राशि तक 'प्रतिभूति प्रीमियम' खाते में समायोजित किया जाएगा, और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में संचित लाभ-हानि शेष में समायोजित किया जाएगा।

(एफ) विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी की लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर की स्थिति में, विलयित कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां प्रभावी होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सुसंगत लेखांकन नीतियों पर आधारित वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं।

12. विलय करने वाली कंपनी का विघटन

प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के, परिसमापन के बिना ही भंग हो जाएगी।

13. अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

13.1. संकल्प के अभिन्न अंग के रूप में और प्रभावी तिथि से संकल्प के लागू होने पर, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, जो कि 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ भारतीय रुपये) है और जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) अंकित मूल्य वाले 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में समेकित, निहित और विलय हो जाएगी। उपरोक्त अनुसार विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ समेकन करने के बाद, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर 35,00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी, जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) के अंकित मूल्य वाले 35,00,000 (पैंतीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे। विलय की गई कंपनी द्वारा कोई और कार्य, दस्तावेज या विलेख किए बिना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा अपनी संबंधित अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए

शुल्क को विलय के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, और इस वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त शुल्क या स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए विलय की गई कंपनी की देयता (i) संकल्प के प्रभावी होने के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय शुल्क या स्टाम्प शुल्क, और (ii) विलय की गई कंपनी द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए शुल्क या स्टाम्प शुल्क (यदि कोई हो), और अधिकृत शेयर पूंजी के बीच के अंतर तक सीमित होगी। समझौता जापन के खंड VI में उल्लिखित खंड को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 35,00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ भारतीय रुपये) है, जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) अंकित मूल्य के 35,00,000 (पैंतीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं।”

13.2. धारा 378ZN और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड तथा प्रत्येक पक्ष के सदस्यों द्वारा संकल्प के अनुमोदन पर, यह माना जाएगा कि विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बोर्ड तथा सदस्यों ने भी धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत, जो भी लागू हों, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और वृद्धि को प्रभावी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, और विलय करने वाली कंपनी या विलय की गई कंपनी को धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा आर्टिकल्स के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत कोई और संकल्प या कार्रवाई, जिसमें किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन शामिल है, करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और विलयित कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के संबंध में अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार या किसी अन्य लागू सरकारी प्राधिकरण के पास इस प्रस्ताव में निर्धारित तरीके से दाखिल करेगी।

14. संकल्प के अन्य नियम

14.1. इस संकल्प या इसके किसी भी संशोधन या परिवर्धन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के अधिकृत व्यक्ति सभी आवश्यक निर्देश दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, संदेह या कठिनाई के समाधान या निवारण के लिए निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्धारण या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी प्रकार बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे इस संकल्प में विशेष रूप से शामिल किए गए हों।

14.2. विलय करने वाली कंपनी की सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग (यदि कोई हो), वर्तमान और पूर्व ग्राहकों की सूचियाँ और अन्य सभी पुस्तकें और अभिलेख, चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू कानूनों के तहत जहाँ तक संभव और अनुमत हो, विलय करने वाली कंपनी द्वारा विलय की गई कंपनी को सौंप दिए जाएंगे।

14.3. विलय करने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण, कानूनी कार्यवाही का जारी रहना और उपरोक्त समझौतों, अनुबंधों और दस्तावेजों का प्रभावी होना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि को या उससे पहले संपन्न किए गए किसी भी लेनदेन या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, इस उद्देश्य और इरादे से कि विलय की गई कंपनी इस संबंध में विलय करने वाली कंपनी द्वारा किए गए और निष्पादित सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को स्वीकार करती है और अपनाती है, मानो वे उसकी ओर से किए गए और निष्पादित किए गए हों।

14.4. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार ("आरओसी") को, जहां भी लागू हो, संयुक्त या अलग-अलग सूचना देंगी, जिसमें प्रभावी विलय, रजिस्टर से विलय करने वाली कंपनी का नाम हटाने, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को विलय की गई कंपनी में संयोजित करने और यदि आवश्यक हो तो अन्य मामलों का उल्लेख होगा।

14.5. विलय करने वाली कंपनी के जो भी प्रस्ताव प्रभावी तिथि को वैध और लागू हैं, वे विलय की गई कंपनी के प्रस्ताव माने जाएंगे और यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम या किसी अन्य लागू प्रावधानों

के तहत कोई ऊपरी मौद्रिक या अन्य सीमाएं निर्धारित हैं, तो उक्त सीमाएं विलय की गई कंपनी में उन सीमाओं के कुल योग में जोड़ दी जाएंगी।

14.6. अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलय की गई कंपनी की उधार लेने की सीमा बिना किसी और कार्य या विलेख के विलय की गई कंपनी की कुल देनदारियों (यदि कोई हो) के बराबर राशि से बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसार विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित की जा रही हैं और विलय की गई कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.7. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी ने सामान्य व्यवसाय के दौरान सभी करों और देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया है। जैसा कि ऊपर पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, यह संकल्प आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के अनुपालन में है, और इस संकल्प के परिणामस्वरूप विलय करने वाली कंपनी या विलयित कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। संकल्प तक पहुंचने वाली वार्ताओं और इस संकल्प के नियमों और प्रावधानों को लागू करने और इस संकल्प के अनुसरण में व्यवस्था को पूरा करने से संबंधित सभी लागतें, शुल्क, कर और व्यय, जिनमें किसी भी विलेख, दस्तावेज, उपकरण का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, विलयित कंपनी द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

14.8. विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की सहमति, अधिनियम के अनुसार, जैसा लागू हो, इस संकल्प में निर्धारित सभी कार्यों को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी और कंपनियों द्वारा अलग से कोई अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

14.9. यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से, या सदस्यों, लेनदारों, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, या बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय या अव्यवहार्य पाया जाता है, तो संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन रहते हुए, यह प्रस्ताव के अन्य भागों और/या प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(नों) को अलग करने और शेष प्रस्ताव को ऐसे संशोधन के साथ लागू करने की सहमति देने का अधिकार होगा।

“इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वे ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने और इन प्रस्तावों में शामिल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए अपनी पूरी समझ-बूझ से ज़रूरी, वांछनीय, उचित या आवश्यक समझते हैं। इसके लिए उन्हें कंपनी के शेयरधारकों या सदस्यों से किसी और मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारकों या सदस्यों ने ऊपर बताए गए और इस प्रस्ताव के तहत अपनी मंजूरी स्पष्ट रूप से दे दी है। साथ ही, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को ऐसे और दस्तावेज़, कागज़ात और लिखित सामग्री तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है जिन्हें ज़रूरी समझा जाए, साथ ही ज़रूरी फाइलिंग करने और इन प्रस्तावों को लागू करने व व्यवस्था को अमल में लाने के मकसद से कोई भी या सभी गतिविधियाँ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

“इसके अलावा यह भी संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल, इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए, अपनी किसी भी या सभी शक्तियों को कंपनी के किसी भी निदेशक या अफ़सर को सौंप सकता है। इसके लिए कंपनी के शेयरहोल्डर्स या सदस्यों से किसी और मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; बोर्ड अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है अगर उसे यह सही, ज़रूरी या उचित लगे।”

“इसके अलावा यह भी संकल्प किया गया कि ऊपर बताए गए प्रस्तावों की कॉपी, जिन्हें कंपनी के किसी भी निदेशक ने सही प्रमाणित किया हो, सभी संबंधित लोगों को ज़रूरत के अनुसार दी जाएं और उनसे उन पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए।”

10. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

“संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026

रचना देवधर गोयल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन संख्या:- 08892551



टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसान स्थान के लिए प्रमुख लैंडमार्क के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3,4,5,6

विवरण	श्रीमति ललिता	श्रीमति सीता ढाका	श्रीमति दुर्गा देवी सैनी	श्रीमति पूनम
उम्र	42	32	32	23
शैक्षिक योग्यता	M.A, B. ED	M.A.	M.A. B. ED	B.A.
व्यवसाय	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन
अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में सात साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में आठ साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में चार साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में छः साल का अनुभव
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग एवं अंतिम पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की दिनांक	30.08.2022	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव



बोर्ड मीटिंग में भाग लिया की संख्या	7	0	0	0
अंशधारिता	33	38	18	90
अन्य निदेशकों एवं केएमपी के साथ सम्बन्ध	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं
बोर्ड की समिती की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026

रचना देवधर गोयल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन संख्या:- 08892551

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378-1 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 102 के तहत)

कंपनी की परिचालन ज़रूरतों, गवर्नेंस के तरीकों और उत्पादक कंपनियों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंतर्नियमों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, गवर्नेंस के ढांचे को मज़बूत करने और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों के आर्टिकल 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6 (i), 9.6 (iii) और 9.16 में कुछ बदलावों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों में मुख्य रूप से नोटिस भेजने से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करना, बेकार प्रावधानों को हटाना और अतिरिक्त गवर्नेंस ज़रूरतें शामिल करके निदेशकों के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंडों को मज़बूत करना शामिल है। इन बदलावों का मकसद बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आर्टिकल्स में स्पष्टता लाना, दोहराव को खत्म करना, कानूनी प्रावधानों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और कंपनी के प्रोड्यूसर सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कामकाज को आसान बनाना है।

अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों की एक कॉपी, प्रस्तावित बदलावों के साथ, इस तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल सदस्यों की मंजूरी के लिए साथ लगे नोटिस के आइटम नंबर 8 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य होने के अलावा, किसी भी तरह से इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।



व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 9

रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("रूहानी") के बारे में

(a) रूहानी एक प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर, 2016 को पंजीकृत की गयी। यह मुख्य रूप से अपने सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करती है, साथ ही इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में भी शामिल है।

(b) रूहानी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01114RJ2016PTC099592 है।

(c) रूहानी का पंजीकृत कार्यालय सिधमुख, विनायक मेडिकल यूनिवर्सिटी चेनपुरा बारा राजगढ़ सिधमुख रोड, चूरू, सादुलपुर, राजस्थान - 331701 में स्थित है।

(d) रूहानी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, रूहानी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करना, साथ ही इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में भी शामिल होना।

2. सदस्यों के फ़ायदे के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से ब्रीडिंग, चारा/फीड और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देना या उनकी व्यवस्था करना।

3. ऐसी शिक्षा, ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियां उपलब्ध कराना जो सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और मदद के सिद्धांतों को बढ़ावा दें।

4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने वाले दूध की क्वालिटी कंपनी और कानूनी अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो।

5. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के प्राइमरी प्रोड्यूस (जैसे खाने का तेल, फल और सब्जियां) और उनसे बनी चीजों को खरीदने, पैदा करने, प्रोसेस करने, बेचने, ट्रेड करने, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करना, साथ ही उनकी मार्केटिंग करना और इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में शामिल होना।



6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(a) रुहानी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' की धारा 14 में, इसकी आम सभा में प्रस्ताव पारित करके इसके समामेलन, विलय या विभाजन का प्रावधान है।

(b) 31 मार्च, 2026 को रुहानी की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूँजी इस प्रकार थी:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
5,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
12,316 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	12,31,600
कुल	12,31,600

पेड-अप शेयर कैपिटल में बदलाव हुए हैं।

17 अगस्त, 2026 तक, अधिकृत, जारी और पेड-अप शेयर कैपिटल इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
5,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
11,052 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	11,05,200
कुल	11,05,200



2. सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“सखी”) के बारे में

(a) सखी एक प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसे 19 मार्च, 2016 को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था। सखी मुख्य रूप से अपने सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करती है। साथ ही, वह ऐसी गतिविधियों में भी शामिल है जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।

(b) सखी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648 है।

(c) सखी का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर, राजस्थान - 301002 पर स्थित है।

(d) सखी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, सखी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करना, और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।
2. सदस्यों के फ़ायदे के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से ब्रीडिंग, चारे और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देना या उनकी व्यवस्था करना।
3. ऐसी शिक्षा, ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियां उपलब्ध कराना जो सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और मदद के सिद्धांतों को बढ़ावा दें।
4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने वाले दूध की क्वालिटी कंपनी और कानूनी अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो।
5. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के प्राथमिक उत्पाद और उनसे बनने वाली चीज़ों (जैसे खाने का तेल, फल और सब्ज़ियां) को खरीदने, पैदा करने, प्रोसेस करने, बेचने, ट्रेड करने, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करना, उनकी मार्केटिंग करना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।
6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।

(a) 'सखी' के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' की आर्टिकल 14 में, इसकी आम बैठक में प्रस्ताव पारित करके इसके समामेलन, विलय या विभाजन का प्रावधान है।

(b) 31 मार्च, 2026 तक 'सखी' की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूँजी इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
30,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
20,94,761 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	20,94,76,100
कुल	20,94,76,100

अधिकृत और पेड-अप शेयर कैपिटल में बदलाव हुए हैं।

17 अगस्त, 2026 तक, सखी की अधिकृत, जारी और पेड-अप शेयर कैपिटल इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
30,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
21,03,609 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	21,03,60,900
कुल	21,03,60,900

3. प्रस्तावित विलय का कारण

प्रस्तावित विलय का कारण, अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार है:

(a) रुहानी और सखी, दोनों ही अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के तहत पंजीकृत

प्रोड्यूसर कंपनियाँ हैं। दोनों कंपनियाँ एक जैसी बिज़नेस गतिविधियाँ करती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करना, खरीदना, प्रोसेस करना, उनकी मार्केटिंग करना और उनसे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में शामिल होना। दोनों कंपनियों के बिज़नेस ऑपरेशन इस प्रकार हैं:

- दूध उत्पादक जो दुधारू पशुओं का दूध निकालने और दूध के उत्पादन का काम करते हैं, वे कंपनी के सदस्य हैं;
- ऐसे दूध उत्पादक कंपनी को दूध सप्लाई करते हैं;
- कंपनी अलग-अलग दूध उत्पादकों से दूध इकट्ठा करती है और उनके उत्पाद/दूध को बाज़ार में थोक में बेचती है।

(b) रुहानी के मुख्य कामकाज वाले इलाके चार शहरों - फतेहाबाद, सिरसा (हरियाणा) और मानसा, बठिंडा (पंजाब) - में हैं, और इसलिए, इन जिलों के कई दूध उत्पादक रुहानी के सदस्य हैं। इसके अलावा, 'सखी' भी इन्हीं चार शहरों में काम करती है, इसलिए दूध उत्पादक सखी के भी सदस्य हैं। सिर्फ चार गाँव - जतन खुर्द (रोरी), खबरा कलाँ, महलसरा, मेहुवाला (फतेहाबाद) - ऐसे हैं जहाँ सखी काम नहीं कर रही है, लेकिन रुहानी के कुल कारोबार की तुलना में इन गाँवों से होने वाला कारोबार बहुत कम है। इस तरह, सखी पहले से ही रुहानी के सभी मुख्य इलाकों में काम कर रही है और नतीजतन, दोनों अलग-अलग कंपनियों के कामकाज में काफी हद तक एक जैसा काम है, जिससे कामकाज, मैनेजमेंट, लागत, समय आदि का दोहराव हो रहा है। साथ ही, सखी का नेटवर्क और कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, जिसमें कई राज्यों में फैले 2868 मिल्क पूलिंग पॉइंट शामिल हैं और इसे 26 मिल्क चिलिंग सेंटर और 22 बल्क मिल्क कूलर का सपोर्ट मिलता है।

(c) चूंकि दोनों प्रोड्यूसर कंपनियाँ एक जैसी बिज़नेस क्षेत्रों में अलग-अलग काम कर रही हैं और सखी का कामकाज बड़े नेटवर्क और कनेक्टिविटी के साथ पूरी तरह से चालू और स्थिर हो गया है, इसलिए रुहानी के कई सदस्यों ने पहले ही अपनी सदस्यता रद्द कर दी है और सखी के सदस्य बन गए हैं।

(d) दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट ने दोनों कंपनियों की पिछली और मौजूदा स्थिति और कामकाज का मूल्यांकन किया है, और उनकी राय है कि मर्जर के ज़रिए दोनों कंपनियों के बिज़नेस को एक साथ लाने - जिसमें सुविधाओं का पूरी तरह से एकीकरण शामिल है - से तालमेल बनेगा और बिज़नेस को एक ही इकाई में मिलाने से नीचे बताए गए फायदे होंगे:

- दूध को ठंडा करने और स्टोर करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 'सखी' के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल संयुक्त बिज़नेस ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। इससे संसाधनों का दोहराव कम होगा और दोनों कंपनियों के सदस्यों और स्टैकहोल्डर्स को फ़ायदा होगा।
- 'रूहानी' की कैपिटल एसेट्स (जैसे डेटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स आदि) का इस्तेमाल 'सखी' अपनी ऑपरेशनल क्षमता को तुरंत बढ़ाने के लिए बिना किसी अतिरिक्त कैपिटल खर्च के करेगी। इससे मर्जर के बाद बने नेटवर्क में तेज़ी से इंटिग्रेशन और दूध खरीदने की क्षमता में सुधार होगा।
- 'सखी' का मैनेजमेंट फ़्रेमवर्क और दूध सप्लायर्स का नेटवर्क अच्छी तरह से स्थापित है और इसे बनाने में काफ़ी वर्किंग कैपिटल, मेहनत और मैनुपावर लगाई गई है। वहीं, 'रूहानी' के सदस्यों की संख्या और बिज़नेस में काफ़ी कमी आई है और उसे अपना बिज़नेस ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किल हो रही है। इसलिए, नीचे दी गई बातें 'रूहानी' को अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और बिज़नेस क्षमता बढ़ाने में 'सखी' की कोशिशों को मज़बूत करने में मदद करेंगी
 - a. 'रूहानी' के सदस्य 'सखी' के सदस्य बन जाएंगे और कंपनी को रोज़ाना दूध की सप्लाई जारी रखेंगे, जिससे उनकी आजीविका बनी रहेगी, लेकिन उन्हें एक बड़े और अच्छी तरह से स्थापित सपोर्ट सिस्टम का लाभ मिलेगा
 - b. अभी 'सखी' की एसेट्स में मुख्य रूप से दूध इकट्ठा करने की व्यवस्था और चिलिंग पॉइंट्स शामिल हैं। दोनों कंपनियों के मर्जर से इन एसेट्स का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे प्रति यूनिट बिक्री पर फ़िक्स्ड कॉस्ट का असर कम होगा।

- c. अभी 'सखी' और 'रूहानी' दोनों की कुछ कमाई एक ही इलाकों से होती है, जैसे फ़तेहाबाद, सिरसा (हरियाणा) और मानसा, बठिंडा (पंजाब)। इन इलाकों में सुविधाओं का दोहराव है और इन सेवाओं के लिए अलग-अलग मैनेपावर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ भी है। दोनों कंपनियों के मर्जर से खर्चों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी।
- d. जतन खुरद (रोरी), खबरा कलां, महलसारा, मेहुवाला (फतेहाबाद) के वे इलाके जहाँ 'सखी' ने अभी तक अपना दूध कलेक्शन नेटवर्क नहीं बनाया है, लेकिन 'रूहानी' पहले से मौजूद है, उन्हें 'सखी' के कामकाज में शामिल किया जाएगा। इससे 'सखी' का रेवेन्यू बढ़ेगा और इन इलाकों में रहने वाले सदस्यों की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। मर्जर से ऑपरेटिंग कैश फ्लो को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी।
- 'रूहानी' और 'सखी' के एक जैसे बिज़नेस को मिलाने से कामकाज में तालमेल बढ़ेगा और बिज़नेस का विस्तार व लंबे समय तक चलने वाला विकास संभव होगा। इससे दोनों कंपनियों के सदस्यों और सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू बनेगी।
 - मर्जर से दूध की बेहतर खरीद, ज़्यादा बल्क बिक्री और बल्क खरीदारों से बेहतर कीमत पर मोल-भाव करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, 'रूहानी' के बिज़नेस पर मैनेजमेंट का पूरा ध्यान केंद्रित होने से स्टैकहोल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
 - एक ही मैनेजमेंट टीम स्ट्रक्चर, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और अन्य सामान्य खर्चों में दोहराव की कमी, और कानूनी व रेगुलेटरी नियमों के पालन की जटिलताओं में कमी के कारण बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे और कामकाज की बेहतर क्षमता हासिल होगी।
- (e) इसीलिए, ऊपर बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और कंपनियों की अपने क्रेडिटर्स और सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों और देनदारियों में कोई कमी न आने को ध्यान में रखते हुए, दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने एक्ट की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों व नियमों के तहत 'रूहानी' का 'सखी' में मर्जर करने का फैसला किया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़

डायरेक्टर्स का मानना है कि मर्जर का यह प्रस्तावित प्रस्ताव सभी स्टैकहोल्डर्स को फायदा पहुंचाएगा और सभी शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाएगा।

(f) धारा 387ZN और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में ये बातें शामिल हैं:

- (i) 'रुहानी' का 'सखी' में मर्जर;
- (ii) बदले में 'सखी' द्वारा इक्विटी शेयरों का जारी और अलॉटमेंट;
- (iii) रुहानी की अधिकृत शेयर पूंजी का सखी में ट्रांसफर और एकीकरण;
- (iv) रुहानी का समापन; और
- (v) इससे जुड़े या इसके परिणामस्वरूप होने वाले अन्य मामले; ये सभी प्रस्तावित प्रस्ताव में विस्तार से बताए गए तरीके से किए जाएंगे।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले नियम-कानून:

(a) रुहानी और सखी 'प्रोड्यूसर कंपनियां' हैं जो "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी योगदान से बनी हैं और उन्हीं तक सीमित हैं, यानी इन प्रोड्यूसर कंपनियों में कोई सरकारी या निजी इक्विटी भागीदारी नहीं हो सकती और सदस्यों की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को ही ट्रांसफर किया जा सकता है।

(b) एक्ट की धारा 378G के अनुसार, प्रोड्यूसर कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है और उन सभी पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो प्रोड्यूसर कंपनी की सुविधाओं या सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इन कंपनियों के सदस्य डेयरी किसान हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास आजीविका के सीमित साधन हैं।

(c) प्रोड्यूसर कंपनियों को एक विशेष दर्जा दिया गया है, जो एक्ट के विशेष अध्याय XXIA के तहत आता है। यह अध्याय प्रोड्यूसर कंपनियों को नियंत्रित करता है और एक्ट के अन्य प्रावधानों या उस समय लागू किसी भी कानून पर प्रभावी होता है (एक्ट की धारा 378ZQ)।

(d) एक्ट की धारा 378ZN में दो या दो से अधिक प्रोड्यूसर कंपनियों के विलय या एकीकरण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। इसके तहत जनरल मीटिंग में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाला प्रस्ताव पारित करना होता है। यह प्रस्ताव एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, जिससे संपत्ति, देनदारियां, अनुबंध, कर्मचारी आदि सखी को ट्रांसफर हो जाते हैं।

(e) एक्ट की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार, यह प्रस्ताव प्रभावी होने पर कंपनी रजिस्ट्रार रुहानी का नाम रजिस्टर से हटा देगा।

5. दोनों कंपनियों के बोर्ड ने 17 अगस्त, 2026 को हुई अपनी-अपनी बोर्ड मीटिंग में रुहानी का 'सखी' में विलय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया।

6. कंपनी के बोर्ड ने मीटिंग्स (और अगर वे स्थगित होती हैं, तो उनकी अगली मीटिंग्स) के लिए श्री महेंद्र प्रकाश खंडेलवाल (CP नंबर 4459), जो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, को स्कूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

7. साथ में दिए गए नोटिस और व्याख्यात्मक बयान में बताए गए संबंधित दस्तावेज़, नोटिस भेजे जाने की तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक, सभी कामकाजी दिनों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) पर बिज़नेस के समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा देखे जा सकते हैं।

8. कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मों या उनके रिश्तेदारों का ऊपर बताए गए प्रस्ताव में किसी भी तरह से, आर्थिक या अन्यथा, कोई संबंध या हित नहीं है।

बोर्ड इस प्रस्ताव को 'विशेष प्रस्ताव' के रूप में आपकी मंजूरी के लिए अनुशंसित करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

रचना देवधर गोयल

दिनांक: 17.08.2026

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डीआईएन संख्या:- 08892551

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की दसवी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त जो कि शनिवार, दिनांक 27 सितंबर, 2025 को दोपहर 01:15 बजे, प्रताप ओडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर दोपहर 1:15 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:15 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती दया शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती सुमन देवी शीशिया	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती सुमन कुमारी पदमपुरा	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती पूनम कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती गायत्री सिहाग	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री नरिंदर सिंह बाहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्रीमति रचना देवधर गोयल	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
12.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती पिकी शर्मा ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 17,100 इक्विटी शेयर रखने वाले 291 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से एवं 7,20,014 इक्विटी शेयर रखने वाले 30,634 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से सभा में उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 378ZA (9) एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 30,925 सदस्यों का है।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि सभा में आवश्यक कोरम मौजूद है।

डी. उन्होंने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशक की अंशधारिता रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्ष ने कंपनी की दशवी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, विजन और मिशन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. अध्यक्ष ने मौजूद सदस्यों को बताया कि श्रीमती रेखा कुमारी, श्रीमती सविता कुमारी, श्रीमती सरोज देवी निदेशक और श्री रघु हासन मल्लेगौड़ा विशेषज्ञ निदेशक मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए।

जी. उपस्थित सदस्यों की सर्व सहमति से, दशवी वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, जो सदस्यों को पहले ही वितरित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

एच. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को दशवी वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बैठक के एजेंडा मदों को एक-एक करके लिया:



1. 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि, खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।
- 1.1 श्रीमती तारा (फोलियो संख्या: 1735) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 01/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2025 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती गिरजेश (फोलियो नं.: 27564) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।
- 2.1 श्रीमती पिकी (फोलियो संख्या: 52946) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 2/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 18,11,949 समता अंशों पर रू. 1,26,83,643 (एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार छः सौ तेतालीस रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती अफसरी (फोलियो नं.: 8665) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

3.1 श्रीमती कृपा देवी (फोलियो संख्या: 56597) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 3/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती मीना देवी (फोलियो नं.: 15726) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए ।

4.1 श्रीमती पूजा जाट (फोलियो संख्या: 29062) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 4/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो

कंपनी की निदेशक श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और योग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं ।

श्रीमती कुसुम लता (फोलियो नं.: 19398) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं ।

- 5.1 श्रीमती ममता कँवर (फोलियो संख्या: 23923) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 5/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति वार्षिक आम बैठक में योग्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण भरी नहीं जा सकती है।”

श्रीमती प्रमोद (फोलियो नं.: 24102) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

- 6.1 श्रीमती ममता कुमारी (फोलियो संख्या: 77900) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 6/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000/- पच्चीस करोड़ रुपये 25,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) से 30,00,00,000/- तीस करोड़ रुपये 30,00,000 तीस लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) के अतिरिक्त 5,00,000 पांच लाख रु.100/- (रुपये एक सौ प्रत्येक) के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 30,00,00,000 रुपये है। तीस करोड़ रुपये जो कि 100/- रुपये के 30,00,000 (तीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

श्रीमती कल्पना (फोलियो नं.: 55300) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

7.1 श्रीमती सीमा (फोलियो संख्या: 45406) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 7/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प लिया गया कि कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो) इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन

या पुनः अधिनियमन सहित (के अनुसार, कंपनी के सदस्यों को बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों को सामान्य आरक्षित निधि के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती सीता ढाका (फोलियो नं.: 33442) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

8.1 श्रीमती मंजू देवी (फोलियो संख्या: 50780) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 8/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग **XXI-A** के लागू प्रावधानों, विशेष रूप से धारा-378 I, धारा 14 , और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के अनुसरण में, और इस संबंध में पहले पारित किसी भी संकल्प के स्थान पर, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i सखी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड" का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक" नामांकन समिति का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगी।

ii बोर्ड में उत्पादक निदेशकों वर्ग ए या वर्ग बी या वर्ग सी के अंतर्गत रिक्ति की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की

सूचना जितनी संख्या में पदों को भरने के लिए बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल आईडी पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/मोड के माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।

iii बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।

iv 'नामांकन समिति' पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक के पात्रता अंक' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% or more days - 30; 85% to <95% days - 20; 75% to <85% - 15; 65% to <75% - 10; 55% to <65% - 5; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
महिलाओं के लिए 12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भाग लिया -(सदस्य प्रशिक्षण) 5 अंक(वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण) 5 अंक(एलडीपी) नेतृत्व विकास कार्यक्रम/(निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम) 10 अंक	20
कुल	100

v बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे

i उस सदस्यता वर्ग से बोर्ड का एक उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो आपस में किसी समझौते के अभाव में, लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हो; और

iii किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

vi 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तारीख तक होगा।

vii बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

श्रीमती मिंटू कुमारी बगरिया (फोलियो नं.: 50926) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।



9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

9.1 श्रीमती मंजू (फोलियो नंबर: 70905) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 9/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती कृष्णा कँवर (फोलियो संख्या: 74926) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्षा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक का कार्यवृत्त: 04.10.2025 को दर्ज किया गया

दिनांक: 04.10.2025

अध्यक्षा

स्थान : अलवर



आयगत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27			
क्रम	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 26-27
	कंपनी की कुल बिक्री	(लाख रुपये में)	118854.35
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	545535
(II)	दूध परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	101520.20
(III)	प्रोड्यूसर मूल्य / सदस्य प्रोत्साहन को शामिल करते हुए खरीद मूल्य	(लाख रुपये में)	88288.23
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	2220.58
(V)	लोजिस्टिक लागत	(लाख रुपये में)	5864.62
(VI)	अन्य दूध खरीद / खरीद लागत	(लाख रुपये में)	3160.74
(VII)	स्थाई लागत	(लाख रुपये में)	1898.03
(VIII)	दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	88.01
(IX)	अनुदान सहायता-दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	
(X)	अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	88.01
(XI)	पीइएस परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	73.97
(XII)	मदर डेयरी उत्पादों के बिक्री एवं वितरण से लाभ	(लाख रुपये में)	4.39
(XIII)	एग्गी वेल्यु चैन क्रियाओं से लाभ, बायोगेस	(लाख रुपये में)	3.41
(XIV)	घी, रसगुल्ला एवं गुलाबजामुन से आय	(लाख रुपये में)	181.10
(XV)	अन्य आय	(लाख रुपये में)	270.44
(XVI)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	621.31
पूँजीगत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27			
क्रम	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 26-27
A	दूध परिचालन		
(I)	एमपीपी सेट अप लागत	(लाख रुपये में)	60.00
(II)	केन्स	(लाख रुपये में)	38.70
(III)	बीएमसी	(लाख रुपये में)	83.24
(IV)	एचओ सेट अप	(लाख रुपये में)	5.00
(V)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	204.30
(VI)	डीपीएमसीयू	(लाख रुपये में)	420.00



(VII)	लेब उपकरण	(लाख रुपये में)	240.72
(VIII)	एएमसीयू	(लाख रुपये में)	9.00
(IX)	मार्केटिंग प्लान-सेटअप	(लाख रुपये में)	50.00
(X)	एमसीसी सेट अप	(लाख रुपये में)	200.00
	केपेक्स -दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	1310.96
(XIII)	केपेक्स अनुदान सहायता -जिका से दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	77.79
	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1233.18
B	पीइएस परिचालन		
(V)	पीइएस कोलर आईडी	(लाख रुपये में)	9.67
	केपेक्स - पीइएस परिचालन	(लाख रुपये में)	9.67
(VI)	केपेक्स अनुदान सहायता नाबार्ड से पीइएस परिचालन	(लाख रुपये में)	8.00
	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1.67

I	कुल केपेक्स	(लाख रुपये में)	1320.63
II	कुल केपेक्स अनुदान	(लाख रुपये में)	85.79
III	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1234.85



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट www.sakhimilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

[कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) और (कंपनी प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुशरण में]

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मै/हमऊपर लिखित कंपनी के अंशों की सदस्यता होते हुए एतद्वारा

- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में,
- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में,
- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में

कंपनी की शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2026 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न.-8, अलवर (राज.)-301001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विप क्ष में	तट स्थ
1	31 मार्च, 2026 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना।			



2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
3	श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
4	श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
5	श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
6	श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पैट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
7	कंपनी के वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए।			
8	कंपनी के अंतर्नियमों के लेखों में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना ।			
9	रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय ।			
10	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।			

दिनांकसितम्बर 2026 को हस्ताक्षर किये गए ।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है ।

रूपये एक का
रेवेन्यू टिकट
लगाये



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002
टेलीफोन 0144-2330332
ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

में.....निवासी.....
.....

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नकों सहित प्राप्त कर लिया है।

सदस्या के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
 कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648
 पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002
 टेलीफोन 0144-2330332
 ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं शुक्रवार 25 सितम्बर, 2026 को सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम	
अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही है तो	

(ए) उपस्थिति के लिए

(बी) उपस्थिति और वोट देने के लिए

अंशधारक/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता उसे काट दे

**सहमति फॉर्म**

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मैं, ऊपर बताई गई कंपनी का सदस्य होने के नाते और कट-ऑफ तारीख यानी 17 अगस्त, 2026 को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZN के तहत नीचे दिए गए प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति देता हूँ:

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव
1	रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय।

सदस्या के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

-----✂-----✂-----✂-----✂-----